**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
**झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012**
**सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013**
**बिहार सरकार बनाम बीरबल दा**

**उपस्थित– श्री अमित कुमार**
**जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**

.....

## फार्म–ए

**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई**
**प्रस्तुतः– श्री अमित कुमार**
**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013
झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012
धाराः– 147, 148, 427 / 149, 435 / 149, 120(बी) भा0द0वि एवं 10, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट

| | |
|---|---|
| परिवादी / सूचक | बिहार सरकार द्वारा सूचक रंजीत कुमार (थानाध्यक्ष), पिता– स्व0 रामेश्वर सिंह, ग्राम– सिघाड़ी, थाना–गोह, जिला–औरंगाबाद। |
| अभियोजन की ओर से | श्री संजीव कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक |
| अभियुक्तगण | **1:– बीरबल दा उर्फ बीरबल मुर्मू**, उम्र करीब 56 वर्ष, पिता– स्व0 फागु मुर्मू। |
| बचाव पक्ष की ओर से | श्री प्रवीण कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता। |

## फार्म–बी

| | |
|---|---|
| अपराध की तिथि | 21 / 22.03.2012 |
| प्राथमिकी की तिथि | 22.03.2012 |
| आरोप गठन की तिथि | 24.09.2025 |
| साक्ष्य बंद होने की तिथि | 09.03.2026 |
| निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि | 22.04.2026 |
| निर्णय की तिथि | 28.04.2026 |
| सजा की तिथि | N.A |

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
**झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012**
**सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013**
**बिहार सरकार बनाम बीरबल दा**

**उपस्थित– श्री अमित कुमार**
**जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**

.....

**निर्णय**

**1.** प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त बीरबल दा के विरूद्व धारा 147, 148, 427 / 149, 435 / 149, 120(बी) भा0द0वि एवं 10, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट के अंतर्गत आरोप गठन का विचारण किया गया हैं।

**2.** यह काण्ड सूचक थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के लिखित आवेदन पर थाना झाझा में प्राथमिकी संख्या 45 / 12 दिनांक 22.03.2012 को धारा 147, 148, 149, 427, 436, 504 एवं 120(बी) भा0द0वि तथा 10, 11, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या– 180 / 2013, धारा 147, 148, 149, 427, 436, 504 एवं 120(बी) भा0द0वि तथा 10, 11, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया। इस मामले में विद्वान सी0जे0एम, जमुई ने आरोप–पत्र में अंकित अभियुक्त बीरबल दा के विरूद्व भा0द0वि की धारा 147, 148, 149, 427, 436, 504 एवं 120(बी) तथा 10, 11, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मामले में दिनांक 25.06.2012 को संज्ञान लिया तथा उपरोक्त अभियुक्त का मामला विचार हेतु सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया।

**3.** अभियोजन की केस लिखित आवेदन के आधार पर संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 21. 03.2013 एवं 22.03.2012 को माओवादियों एवं उग्रवादियों द्वारा बंदी का आवह्न किया गया था। इस बंदी के आवह्न को लेकर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, अशोक कुमार सिंह, विशेष कुमार, स0अ0नि0 ओंकार नाथ सिंह एवं सशस्त्र बल के साथ नारगंजो रेल्वे स्टेशन के पुलिया के पास ड्यूटी पर गये थें कि दिनांक 22.03.2012 की सुबह करीब 05:00 बजे सूचना मिली कि ग्राम चांय में उग्रवादियों द्वारा दो वाहन को जला दिया गया हैं। इस सूचना के सत्यापन हेतु पु0अ0नि0 रंजीत कुमार अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि ग्राम चांय के ललन प्रसाद यादव के दरवाजे के सामने रखा दो ट्रेकर को उग्रवादियों द्वारा बीती रात्रि आग लगा कर जला दिया गया हैं तथा आगे पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि ट्रेकर रजि0 नंबर BR-23A-6210 ललन प्रसाद यादव का एवं ट्रेकर रजि0 नंबर BR-40-9169 अशोक यादव का था। खुले एवं गुप्तरूप से इस घटना का छानबीन किया तो ज्ञात हुआ कि प्रतिबंधित माओवादी के सक्रिय सदस्य 1. चिराग दा, 2. बड़कु मरांडी, 3. बीरबल दा, 4. पिन्टु दा, 5. बैजू यादव, 6. कारू यादव, 7. राकेश दा, 8. सिद्धू कोड़ा, 9. विजय दा, 10. नरेश दा, 11. पप्पु मिंया, 12. दाउद मियां, 13. प्रकाश जी, 14. बसीर दा, 15. छोटेलाल मरांडी, 16. कारू राय एवं साथ करीब 40–50 अज्ञात भाकपा माओवादी के सदस्य जो सभी अत्याधुनिक हथियार कारवाईन, एस.एल.आर, इन्सास, इत्यादि से लैश होकर आये और सरकार के निति के विरूद्व नारा लगाते हुए दोनो वहानों को आग लगा दिया और उक्त लोग नारा लगाते हुए बोल रहे थें कि उनके नेता प्रवेद दा को मुक्त करों और वे सभी नारा लगाते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले गये।

**4.** यह काण्ड सूचक थानाध्यक्ष रंजीत कुमार द्वारा दिनांक 22.03.2012 को थाना में दिये गये लिखित आवेदन–पत्र के आधार पर थानाध्यक्ष झाझा को लिखित आवेदन को काण्ड दर्ज करने हेतु अग्रसारित किया गया, जिसके आधार पर झाझा थाना काण्ड संख्या 45 / 12 दिनांक 22.03.2012 धारा 147, 148, 149, 427, 436, 504 एवं 120(बी) भा0द0वि तथा 10,

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
**झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012**
**सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013**
**बिहार सरकार बनाम बीरबल दा**

**उपस्थित– श्री अमित कुमार**
**जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**

---

11, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया और पु0अ0नि अशोक कुमार सिंह, को अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रतिनियुक्त कर अनुसंधान करने का ओदश दिया गया।

**5.** अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों का ब्यान के पश्चात् अभियुक्तों के विरूद्व धारा 147, 148, 149, 427, 436, 504 एवं 120(बी) भा0द0वि तथा 10, 11, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट के अंतर्गत आरोप–पत्र संख्या 180 / 2013 दिनांक 16.08.2013 को समर्पित किया गया। तद्नुसार इन्हीं धाराओं में अभियुक्त के विरूद्व आरोपों का संज्ञान दिनांक 25.06.2012 को लिया गया और वाद को सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण किये जाने योग्य पाकर वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द कर दिया गया।

**6.** यह कि दौरा सुपूर्दगी के बाद यह वाद कई न्यायालयों से अन्तरित होकर इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु दिनांक 21.10.2020 को प्राप्त हुआ।

**7.** यह कि विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 147, 148, 427 / 149, 435 / 149, 120(बी) भा0द0वि एवं 10, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट के अन्तर्गत आरोप का गठन दिनांक 24.09.2025 को किया गया, जिसे पढ़कर अभियुक्त को हिन्दी में सुनाया गया और अभियुक्त ने श्रवणोपरांत अपराधों को स्वीकार नहीं किया और वे अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण का दावा किया।

**8.** अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद दिनांक 10.04.2026 को अभियेक्त का द0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत कथन लिपिबद्व किया गया अपने धारा 313 द0प्र0सं0 के कथन में अभियुक्त स्वयं का निर्दोष बताये तथा इस केस में झूठा फंसाये जाने का कथन किया हैं।

**9.** अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैं कि क्या अभियोजन आरोपित अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल हो सका हैं?

**अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्ष्य**

**(क) अभियोजन मौखिक साक्ष्यः–**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य) |
|---|---|---|
| पी.डब्लू–1 | हरेन्द्र पाण्डेय | पुलिस साक्ष्य |
| पी.डब्लू–2 | कैलाश यादव | अन्य साक्ष्य |
| पी.डब्लू–3 | ललन यादव | अन्य साक्ष्य |

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
**झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012**
**सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013**
**बिहार सरकार बनाम बीरबल दा**

**उपस्थित– श्री अमित कुमार**
**जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**

---

**(ख) विपक्षी मौखिक साक्ष्यः–**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य) |
|---|---|---|
| नहीं | नहीं | नहीं |

**(क) अभियोजन प्रदर्शः–**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरणी |
|---|---|---|
| 1. | पी1 / पीडब्लू–1 | गिरफ्तारी मेमो |
| 2. | पी2 / पीडब्लू–2 | पीडब्लू–2 की धारा 161 दं.प्र.सं अंतर्गत पीडब्लू–2 का ब्यान। |

**(ख) बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शः–**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरणी |
|---|---|---|
| नहीं | नहीं | नहीं |

**(ग) न्यायालय प्रदर्शः–**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरणी |
|---|---|---|
| नहीं | नहीं | नहीं |

**(घ) वस्तु प्रदर्शः–**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरणी |
|---|---|---|
| नहीं | नहीं | नहीं |

**10.** अभियोजन के ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या 01 हरेन्द्र पाण्डेय ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि दिनांक 21.03.2012 को मैं झाझा थाना में सैप जवान के रूप में पदस्थापित थे। उस समय झाझा थाना के तत्तकालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार थें। दिनांक 21.03.2012 एवं 22.03.2012 को माओवादियों एवं उग्रवादियों के द्व ारा बन्दी का अवाहन् किया गया था। इसी बंदी को नजर में रखते हुए मैं, थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस बल के साथ नरगंजो रेलवे स्टेशन के पुलिया के पास डियूटी कर रहा था उसी वक्त संध्या में बड़ा बाबु को सूचना मिला कि ग्राम चांय में उग्रवादी द्वारा दो वाहन को जला दिया गया हैं। उक्त सूचना पर सरकारी जीप के द्वारा हम सभी ग्राम चांय में घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला की उग्रवादियों के द्वारा दो ट्रैक्टर को जला दिया गया हैं। हमें नहीं पता

चला था कि किसने दोनों वाहन को जलाया था। उसके बाद हम सभी वापस झाझा थाना चले आये थें। इस केस में संदेह के आधार पर थानाध्यक्ष के द्वारा सुनील चौक झाझा से एक व्यक्ति जिसका नाम रिंकु कुमार था को गिरफ्तार किया गया था जिसका गिरफ्तारी मेमो इनके समक्ष बनाया गया था तथा मैंने भी गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर किया था। जिसका पहचान करते हुए इसे प्रदर्श P1/PW1 अंकित करवाया। अभियुक्त बीरबल दा को साक्षी पहचानने से इंकार करता हैं।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि अगजनी वाली घटना मेरे समक्ष नहीं हुई थीं। अनवेषण के दौरान इन्होने न ही बीरबल दा को देखा था और न ही वह इनके समक्ष गिरफ्तार हुआ था।

**11.** अभियोजन साक्षी संख्या 2 कैलाश यादव अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घटना के बारे में मुझें कोई जानकारी नहीं हैं। दरोगा जी ने मेरा ब्यान नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी संख्या 2 को पक्षद्रोही घोषित किया गया और राज्य की ओर से प्रतिपरीक्षण करने के बावजूद अभियोजन पक्ष के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका।

**12.** अभियोजन साक्षी संख्या 3 ललन यादव अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि घ ाटना दिनांक–21.03.2012 की है। मैं अपना ट्रक्टर घटना कारित करने वाले किसी भी अभियुक्त को मैंने नहीं देखा था और ना ही पहचानता हूं। घटना रात्रि की है। पुलिस घटना के अगले दिन आयी थी। अपने घर के दरवाजा के सामने खड़ा कर घर के अन्दर चला गया था और मेरे गांव के एक ओर ट्रक्टर अशोक यादव का ट्रक्टर खड़ा था। हमलोग सवपरिवार खाना खा कर सो गए थे। रात्रि में जब नींद खुली तो घर के बाहर कुछ लोगों की बातचीत की आवाज सुनाई दिया, आपस में ये लोग रिन्कु मोदी का नाम ले रहे थे। कुछ देर के बाद प्रकाश एवं धुंआ आकाश में दिखाई देने लगा। भीतर से देखा तो दोनो ट्रक्टर जल रहा था। सुबह जब मैं घर के बाहर निकला तो देखा कि दोनो ट्रक्टर जल कर राख हो चुका था। मैंने किसी भी व्यक्ति को घटना कारित करते समय अपने आंखों से नहीं देखा था। अभियुक्त बिरबल दा को साक्षी पहचानने से इंकार करता हैं।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि घटना कारित करने वाले किसी भी अभियुक्त को मैंने नहीं देखा था और ना ही पहचानता हूं। घटना रात्रि की है। पुलिस घटना के अगले दिन आयी थी।

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
**झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012**
**सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013**
**बिहार सरकार बनाम बीरबल दा**

**उपस्थित– श्री अमित कुमार**
**जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**

.....

**मंतव्य (Findings)**

**13.** उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्त बीरबल दा द्वारा आरोपित आरोप कि अभियुक्त उग्रवादी संगठन के साथ मिलकर अवैध जमावड़ा के साथ अवैध हथियार लहराते हुए दो ट्रैक्टर जिसका रजि0 नंबर BR-23A-6210 एवं BR-40-9169 को आग लगा दिया तथा नक्सल नेता प्रवोद दा को मुक्त करने का नारा देते हुए चला गया। इस संबंधित प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य के विश्लेषण में पाया गया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा पहचान से इनकार किया हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अभियोजन के तीनों प्रमुख साक्षियों पी0डब्लू–1 हरेन्द्र पाण्डेय, पी0डब्लू–2 कैलाश यादव एवं पी0डब्लू–3 ललन यादव तीनों ने न्यायालय में अभियुक्त बीरबल दा को पहचानने से स्पष्ट इनकार कर दिया हैं।

**13. (i)** पी0डब्लू–1 हरेन्द्र पाण्डेय के ब्यान की बिंदु संख्या 7 में स्पष्ट लिखा हैं आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त बीरबल दा का साक्षी पहचानने से इनकार करता हैं। पी0डब्लू–2 कैलाश यादव के साक्ष्य की बिंदु संख्या 4 में भी यही अंकित हैं कि आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त बीरबल दा को साक्षी पहचानने से इनकार करता है। पी0डब्लू–3 ललन यादव के ब्यान की बिंदु संख्या 2 में भी अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया गया है। जब अभियोजन के स्वयं के साक्षी अभियुक्त की हपचान नहीं कर सके, तो दोषसिद्ध का न्यायसंगत नहीं हैं।

**13. (ii)** घटना की प्रत्यक्ष जानकारी किसी साक्षी को नहीं हैं पी0डब्लू–2 कैलाश यादव ने बिंदु संख्या 1 में स्वयं स्वीाकर किया हैं कि ''घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं।'', पी0डब्लू–3 ललन यादव ने बिंदु संख्या 1 में कहा हैं कि उन्होंने अपना ट्रैक्टर घर के दरवाजे पर खड़ा किया था, रात को नींद खुली तो दोनों ट्रैक्टर जल रहे थें, परंतु बिंदु 2 एवं 3 में स्वीकार किया हैं कि '' मैंने किसी भी व्यक्ति को घटना कारित करते समय अपने आंखों से नहीं देखा था'' एवं ''घटना कारित करने वाले किसी भी अभियुक्त को मैंने नहीं देखा था और न ही पहचानता हूं।'' इस प्रकार घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन के पास नहीं ळें

**13. (iii)** पी0डब्लू–1 हरेन्द्र पाण्डेय का घटनास्थल पर उपस्थित न होना, जो घटना के समय झाझा थाने में सैप जवान के रूप में पदस्थापित थें, उनके ब्यान में स्पष्ट हैं कि उन्होंने अनुसंधान के दौरान न तो बीरबल दा को देखा था और न ही वह उनके समक्ष गिरफ्तार हुए थें। कंडिका में बिंदु 9 में कहा कि अगजनी वाली घटना मेरे समक्ष नहीं हुई थीं। बिंदु 10 में कहा कि अनवेषण के दौरान मैंने न ही बीरबल दा को देखा था और न ही वह मेरे समक्ष गिरफ्तार हुआ था।

अतः पी0डब्लू–1 की गवाही से अभियुक्त के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं बनता।

**13. (iv)** पी0डब्लू–2 कैलाश यादव को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन का प्रमुख साक्षी ही पक्षद्रोही हो जाए और घटना से अनभिज्ञता व्यक्त करे, तो अभियुक्त के विरूद्व दोष सिद्ध न्यायसंगत नहीं है।

**13. (v)** यू0ए0पी0ए की धाराओं के अंतर्गत आरोप हेतु विशेष साक्ष्य का अभाव हैं। अभियुक्त पर यू0ए0पी0ए की धारा 10 (प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता), 13 (गैरकानूनी गतिविधियों में भागीदारी) एवं (आतंकवादी कृत्य से मृत्यु) के आरोप लगाए गए हैं। यू0ए0पी0ए जैसे विशेष कठोर कानून के अंतर्गत दोषसिद्ध हेतु ठोस, विश्वसनीय एवं पुष्ट साक्ष्य अनिवार्य हैं। उपरोक्त मामले में किसी साक्षी ने बीरबल दा को माओवादी संगठन का सदस्य नहीं बताया, न ही किसी साक्षी के द्वारा उनकी उपस्थित घटनास्थल पर देखी गई और न ही कोई दस्तावेजी या तकनीकी साक्ष्य हैं। ऐसे में यू0ए0पी0ए के अंतर्गत दोषसिद्धी न्यायोचित नहीं प्रतीत होता हैं।

**13. (vi)** भा0द0वि0 की धारा 149 (समान आशय) हेतु आवश्यक साक्ष्य का आभाव हैं। भा0द0वि0 की धारा 427 / 149 एवं 435 / 149 के अंतर्गत आरोप हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक हैं कि अभियुक्त अवैध जमावड़े का सदस्य था और उसका समान आशय था। पी0डब्लू–3 ललन यादव (जिनका ट्रैक्टर जला) ने स्वयं कहा कि उन्होंने घटना कारित करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा। जब पीड़ित स्वयं अभियुक्त की पहचान नहीं कर सका तो धारा 149 का आरोप साबित नहीं होता हैं।

**13. (vii)** गिरफ्तारी मेमो से पहचान जो प्रदर्श P1 के रूप में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया, पी0डब्लू–1 ने बताया कि बीरबल द की गिरफ्तारी का मेमो प्रदर्श P1/PW1 के रूप में में चिंहित किया गया परंतु उन्होंने न्यायालय में अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया। केवल गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता, विशेषकर जब साक्षी स्वयं न्यायालय में पहचान न कर सकें। Dock identification के बिना केवल पुलिस दस्तावेजों पर निर्भरता दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त हैं। तीनों प्रमुख साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया तथा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं।

**14.** यू0ए0पी0ए हेतु विशेष साक्ष्य का आभाव, अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका साबित नहीं करती। इन सभी परिस्थितियों में उचित संदेह उत्पन्न होता हैं और यह संदेह अभियुक्त बीरबल दा को मिलना न्यायोचित है।

**15.** उपरोक्त साक्ष्य में मौखिक एवं दस्तावेजी विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि अभियोजन, अभियुक्त बीरबल दा का दोष उचित संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा हैं। अभियोन के स्वयं के साक्षियों द्वारा अभियुक्त की पहचान से इंकार, घटना की प्रत्य क्ष जानकारी का आभाव, एवं यू0ए0पी0ए जैसे गंभीर आरोपों हेतु पर्याप्त साक्ष्य न होना अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर आरोपित आरोप से संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
**झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012**
**सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013**
**बिहार सरकार बनाम बीरबल दा**

**उपस्थित– श्री अमित कुमार**
**जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**

.....

## आदेश

अभियुक्त, बीरबल दा उर्फ बीरबल मुर्मू को धाराः– 147, 148, 427 / 149, 435 / 149, 120(बी) भा0द0वि एवं 10, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट में संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जाता है ।

**1.** अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त, बीरबल दा उर्फ बीरबल मुर्मू के विरुद्ध अबिलम्ब मुक्ति आदेश निर्गत करें।

**2.** कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्णय / वाद अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करने से पूर्व सी0आई0एस0 में अद्यतन करें।

**3.** कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि सभी तरह के अधिपत्र को जिन्हें निर्गत किया गया था और जिसे निष्पादित नहीं किया गया था, उसे संबंधित थाना में अविलंब वापस करा ले।

**4.** कार्यालय लिपिक अभिलेख को अभिलेखागार में नियमानुसार जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 28.04.2026

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश–पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 28.04.2026

## अभियुक्त / अभियुक्तगण की विवरणी

| अभियुक्त का कम संख्या | अभियुक्त / अभियुक्तों का नाम | गिरफ्तार होने की तिथि | जमानत पर मुक्त होने की तिथि | आरोप की धारा | विमुक्त / सजा | अधिरोपित सजा | 426 द.प्र.सं. के लिए विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में बिताया गया समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बीरबल दा उर्फ बीरबल मुर्मू | 23.05.2013<br>26.05.2025 | 12.04.2018<br>28.04.2026 | धाराः– 147, 148, 427 / 149, 435 / 149, 120(बी) भा0द0वि एवं 10, 13, 16 यू0ए0पी एक्ट | विमुक्त | – | 5 साल, 9 माह एवं 22 दिन |

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई**
**सत्र वाद संख्या :– 553 / 2013**
**झाझा थाना कांड संख्या :– 45 / 2012**
**सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-001549-2013**
**बिहार सरकार बनाम बीरबल दा**

**उपस्थित– श्री अमित कुमार**
**जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्, जमुई**
**निर्णय की तिथिः– 28.04.2026**

.....

## अभियोजन मौखिक साक्ष्यः–

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य) |
|---|---|---|
| पी.डब्लू–1 | हरेन्द्र पाण्डेय | पुलिस साक्ष्य |
| पी.डब्लू–2 | कैलाश यादव | अन्य साक्ष्य |
| पी.डब्लू–3 | ललन यादव | अन्य साक्ष्य |

## विपक्षी मौखिक साक्ष्यः–

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य) |
|---|---|---|
| नहीं | नहीं | नहीं |

## अभियोजन प्रदर्शः–

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरणी |
|---|---|---|
| 1. | पी1 / पीडब्लू–1 | गिरफ्तारी मेमो |
| 2. | पी2 / पीडब्लू–2 | पीडब्लू–2 का धारा 161 दं.प्र.सं अंतर्गत ब्यान। |

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 28.04.2026

| | |
|---|---|
| निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि | 22.04.2026 |
| निर्णय की तिथि | 28.04.2026 |
| निर्णय अपलोड करने की तिथि | 28.04.2026 |
| निर्णय अपलोडकर्ता | कोर्ट रीडर सह डिपोजिशन राईटर |